न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 260 / 2015

तेजा सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी गांव 67 जी.बी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत 72 जी.बी. जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 72 जी.बी.।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ। — रैस्पोंन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर दिनांक 18.11.2015 एवं उपखण्ड अधिकारी अनपूगढ का प्रस्ताव दिनांक 14.10.2015

उपस्थिति :–

श्री तेजा सिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुखदेव सिंह बुटर, अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 12/1/16

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण / निवासीगण 67 जी. बी. ने दिनांक 05.08.2015 को एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी / कैम्प प्रभारी अनूपगढ को पेश कर चक 67 जी.बी. के मु.नं. 16 के कि.नं. 1 से 3 की 0.492है0 भूमि हड्डारोडी के लिए आरक्षित करने का पेश किया। उक्त प्रा.पत्र पर तहसीलदार अनूपढ से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को भिजवा दिया जिस पर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने दिनांक 18.11.2015 को चक 67 जी.बी. के प.नं. 261 / 438 मु.नं. 16 के कि.नं. 1 से 3 की 0.492है0 भूमि राज.उपनि.अधि. 1954 की धारा 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत हड्डारोडी हेतु आरक्षित की गई।

उक्त आदेश एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ द्वारा दिनांक 14.10.2015 को जिला कलक्टर को लिखे गये पत्र के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में है। अपीलांट का सन् 1980 से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के विरूद्ध तावान की कार्यवाही की जा रही है। हड्डारोडी गांव से दूर यहां श्मशान भूमि हो उसके साथ स्वीकृत की जाती है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत 72 जी.बी. ने हड्डारोहडी स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव मय प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष पेश किया जिस पर तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को भिजवाया गया। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के प्रस्ताव पर हड्डारोडी स्वीकृत करने में कोई भूल नहीं की। यदि अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है तो वह साधिकार नहीं है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में धारा 96 सीपीसी प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट अपने अपील मीमों में विवादित भूमि पर अपने कब्जे के क्लेम के आधार पर आलोच्य आदेश निरस्त करवाना चाहता है। सरकारी भूमि पर अतिचारी की हैसियत से कब्जा होने से व उसके विरूद्ध तावान की कार्यवाही चलने से अपीलांट स्पष्ट रूप से सरकारी भूमि, जिसे अपीलांट स्वयं भी सरकारी भूमि मानता है पर कोई हक हकूक नहीं बन

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

सकता है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से सक्षम अधिकारी द्वारा विधि द्वारा प्रदत्त अपने सरकारी भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षण करने के अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। आलोच्य भूमि को ग्राम पंचायत 72 जी.बी. ने उपखण्ड अधिकारी को हड्डारोडी स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव एवं ग्रामीणों द्वारा प्रा.पत्र पेश करने पर तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने के पश्चात प्रकरण जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को भिजवाया गया जिस पर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपनी सक्षम अधिकारिता में उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के प्रस्ताव दिनांक 14.10.2015 के अनुसार विवादित भूमि हड्डारोही आरक्षित करने का जो आदेश दिया है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर